प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त 2026

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2020 पर विषय विशिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020**" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की। एसएससीए को जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक किया गया था; और आगे उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित मुद्दों की जांच मार्च 2024 से सितम्बर 2024 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सितंबर 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन को अगस्त 2026 को संसद के पटल पर रखा गया था।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2020, एक समाधान तंत्र है, जिसे लंबित आयकर मुकदमों को कम करने, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करने और करदाताओं को मानसिक शांति, निश्चितता और समय एवं संसाधनों की बचत प्रदान करके तथा उन्हें आर्थिक दंड अभियोजन से छूट देकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया। इस प्रकार, इस योजना का उद्देश्य सरकार के साथ-साथ करदाताओं को भी लाभ पहुंचाना था।

31 जनवरी 2020 तक, 4.15 लाख अपील मामलों में लंबित विवादित प्रत्यक्ष कर बकाया राशि ₹ 10.09 लाख करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 11.37 लाख करोड़ के प्रत्यक्ष कर संग्रह का 88.7 *प्रतिशत* थी। यह समाधान तंत्र विभिन्न अपीलीय मंचों, जैसे कि आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 31 जनवरी 2020 तक लंबित मुकदमों को ध्यान में रखते हुए लाया गया, चाहे ऐसे मामलों में मांग लंबित थी या भुगतान किया जा चुका था।

हमने 174 नामित प्राधिकारी (डीए) से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के कुल 5,212 मामलों की जांच की; अर्थात वे मामले जहां प्रपत्र-5 जारी किया गया था, प्रपत्र-4 प्रतीक्षित था, निर्धारितियों के आवेदन को डीए द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, वे मामले जहां प्रपत्र-3 में, डीए द्वारा गणना की गई देय राशि के सापेक्ष विवादित कर/टीडीएस/टीसीएस/शास्ति/ब्याज के संबंध में निर्धारिती द्वारा अधिक/कम भुगतान (प्रपत्र-4) किया है; वे मामले जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे एवं जहां विवादित कर/टीडीएस/टीसीएस/शास्ति/ब्याज एक करोड़ एवं उससे अधिक था; एवं उच्च मूल्य के मामले जहां देय विवादित राशि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

- 24 राज्यों में लेखापरीक्षा किए गए नमूना मामलों में से 63 *प्रतिशत* में यह पाया गया कि प्रपत्र-3 निर्धारित 15 दिनों की समय सीमा के बाद जारी किया गया था, और विलंब 868 दिनों तक था। डीए द्वारा प्रपत्र-3 के विलंबित निर्गमन के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा विलंबित मांग संग्रह हो सकता था, जो डीटीवीएसवी योजना के इच्छित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकता था।
- लेखापरीक्षा किए गए नमूने के कुल 4,558 मामलों में से**,** जहां प्रपत्र-5 जारी किया गया**,** लेखापरीक्षा ने 22 राज्यों के 149 पीसीआईटी से संबंधित 2,044 (45 *प्रतिशत*) मामलों में पाया कि प्रपत्र-5 जारी करने में 954 दिनों तक का समय अंतराल था। हमने यह भी पाया कि 21 मामलों में निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 जमा करने के बाद भी प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया। डीए द्वारा प्रपत्र-5 जारी करने में विलंब के कारण क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने में विलंब होता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः निर्धारिती को प्रतिदाय मिलने में विलंब होता है, जिससे निर्धारिती का असुविधा हो सकती है और योजना का उद्देश्य भी विफल हो सकता है।
- अंतिम रूप दिए गए 4,558 मामलों में से, विभाग ने 23 राज्यों के 2,521 मामलों में परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) का विवरण प्रदान नहीं किया। इसके अलावा, 23 राज्यों के 1,546 मामलों में, जहां सीईओ को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया, उनमें से 2,037 मामलों में सीईओ को 1,398 दिनों तक के अंतराल के साथ विवरण जारी किए गए। प्रपत्र-5 जारी होने के बाद परिणामी प्रभाव आदेश जारी होने में पर्याप्त विलंब/निरस्त होने से आईटीबीए पर निर्धारिती के कर और अन्य संबंधित विवरणों का अद्यतन नहीं हो सकता है, जिसका परिणामस्वरूप अनुचित वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है।

- तीन राज्यों के 10 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि, 'अस्वीकृत' की श्रेणी से संबंधित कुल 327 लेखापरीक्षित मामलों में से, डीए ने निर्धारिती द्वारा दायर वैध घोषणाओं को अस्वीकृत कर दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये निर्धारिती योजना का लाभ उठाने के लिए अर्ह थे, लेकिन निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की उचित जांच/सत्यता को सत्यापित किए बिना डीए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए थे।
- लेखापरीक्षा ने गुजरात के तीन पीसीआईटी प्रभार के 11 मामलों में पाया कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत विवादित मांग के अंतिम निपटान के बाद परिणामी प्रभाव आदेश

(सीईओ) जारी करने में विलंब के कारण, अन्य निर्धारण वर्षों के प्रतिदाय को आईटीडी प्रणाली द्वारा इन विवादित मांगों के सापेक्ष समायोजित किया गया था।

- लेखापरीक्षा ने गुजरात प्रभार के एक पीसीआईटी में तीन मामलों में पाया कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत विवादित मांग के अंतिम निपटान एवं आईटीडी प्रणाली के माध्यम से परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने के बाद भी, अन्य निर्धारण वर्षों के प्रतिदाय को आईटीडी प्रणाली द्वारा इन विवादित मांगों के सापेक्ष समायोजित किया गया था। इस प्रकार, मौजूदा मांग के सापेक्ष प्रतिदाय को समायोजित करते समय, आईटीडी प्रणाली में कोई जांच एवं सत्यापन उपलब्ध नहीं था।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 21 राज्यों में ₹ 423.47 करोड़ के कर प्रभाव वाले 208 मामलों में, डीए ने डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत देय राशि का गलत निर्धारण किया था।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 राज्यों में ₹ 1,168.27 करोड़ के कर प्रभाव वाले 55 मामलों में, विभाग ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले को संसाधित करते समय आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत भुगतान की गई ब्याज राशि का आहरण नहीं किया था, परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व का नुकसान हुआ था।
- डीटीवीएसवी योजना के मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा को 169 लेखापरीक्षित पीसीआईटी में से 91 पीसीआईटी से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। इन 91 पीसीआईटी में से, केवल तमिलनाडु प्रभार में दो पीसीआईटी के संबंध में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।
- 169 लेखापरीक्षित पीसीआईटी में से, 83 पीसीआईटी ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों के निपटान के लिए एसओपी के मौजूदगी से संबंधित लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर दिया था। इन 83 पीसीआईटी में से, 63 पीसीआईटी ने कहा कि उनके पास डीटीवीएसवी योजना से संबंधित मामलों के निपटान के लिए एसओपी था, जबकि 20 पीसीआईटी ने कहा कि उन्हें विभाग से ऐसा कोई एसओपी नहीं मिला था। शेष 86 पीसीआईटी की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। स्पष्ट दिशानिर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया के व्यापक संचरण के अभाव में, डीए ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामलों के निपटान में एक समान रुख नहीं अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः राजकोष को राजस्व का नुकसान हुआ, जिसे सीबीडीटी, सभी डीए/पीसीआईटी को, एकरूपता बनाए रखने एवं

योजना के इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एसओपी/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का एक समुच्चय को जारी करके टाल सकता था।

- विभिन्न अपीलीय मंचों में ₹ 10.09 लाख करोड़ के राजस्व के साथ लंबित 4.15 लाख मामलों में से, 31 जनवरी 2020 तक, इस योजना के तहत निपटान के लिए ₹ 0.99 लाख करोड़ (9.8 *प्रतिशत*) के राजस्व वाले 1.32 लाख मामलों (31.8 *प्रतिशत*) के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।

  इस योजना के तहत, 22 जुलाई 2022 तक, 1.06 लाख मामलों (प्राप्त कुल आवेदनों का 89.1 *प्रतिशत*) का निपटान किया गया और योजना के प्रावधानों के अनुसार ब्याज/जुर्माना माफ करने के बाद ₹ 71,924 करोड़ (कुल आवेदन राशि का 72.3 *प्रतिशत*) का राजस्व एकत्र किया गया।

  13,000 से अधिक मामलों में, अपेक्षित राशि के भुगतान और निर्धारितियों द्वारा प्रपत्र-4 जमा करने के बावजूद, विभाग समय पर इन मामलों का निपटान करने में सक्षम नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों को असुविधा हो सकती है।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का सार नीचे दिया गया है:

- सीबीडीटी भविष्य में ऐसी योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रपत्र(त्रों) जारी करने और परिणामी प्रभाव आदेश जारी करने हेतु एक विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित कर सकता है।
- सीबीडीटी आईटीडी प्रणाली में उपलब्ध पुराने आंकड़ों से प्रासंगिक आंकड़ों की स्वतः-भराव सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी योजना को लागू करते समय मैन्युअल हस्तक्षेप के कारण त्रुटि की गुंजाइश को कम किया जा सके।
- सीबीडीटी भविष्य में ऐसी योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा देय राशि की गणना की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने पर विचार करे।
- सीबीडीटी संबंधित अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की प्रयोज्यता में असंगत दृष्टिकोण के कारणों की जांच करे और मामलों के, विशेष रूप से तलाशी मामलों में, निपटान में आईटीडी के सभी प्रभारों में समान परिस्थितियों में, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

- सीबीडीटी विभाग की आईटी प्रणालियों में नियंत्रण को सुप्रवाही बनाकर एवं सशक्त करके, कर की गणना की शुद्धता सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसे योजना के क्रियान्वयन करते समय राजस्व के किसी भी प्रकार की हानि को रोका जा सके।
- सीबीडीटी
    - भविष्य में प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से मामलों के निपटान के लिए एओ/संबंधित प्राधिकारी को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रासंगिक प्रपत्र(त्रों) में आवश्यक/महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना/दर्शाना सुनिश्चित करे।
    - ऐसे मामलों की पहचान करे, जहां निर्धारिती ने पहले से ही अनुचित हानि का दावा किया था एवं विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी एवं इन मामलों को परिशोधित करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करे ताकि राजकोष हेतु राजस्व की वसूली की जा सके।
- सीबीडीटी, प्रतिदाय का निर्धारण करने से पहले निर्धारिती के सभी प्रासंगिक निर्धारण अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को अनुदेश जारी करने पर विचार करे ताकि राजकोष को राजस्व की हानि से बचाया जा सके।
- सीबीडीटी, डीटीवीएसवी योजना के संदर्भ में सीबीडीटी द्वारा तय किए जाने वाले कर प्रभावों की एक निश्चित सीमा के मामलों को समावेशित करते हुए, एक आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करे, ताकि योजना के घोषित उद्देश्यों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन के विषय में उचित आश्वासन प्रदान किया जा सके।
- सीबीडीटी, ऐसी योजना को लागू करने से पूर्व समान परिस्थितियों में प्रासंगिक प्रावधानों के अनुप्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/ अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को जारी करने पर विचार करे।